



**कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।**

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0-मरार, जिला-रामगढ़ पिन-829117)

Email id – [dfo-ramgarh@gov.in](mailto:dfo-ramgarh@gov.in)

पत्रांक:- 42

दिनांक:- 07-01-2022

सेवा में,

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल,  
बोकारो।

**विषय :-** सी0सी0एल0 की नार्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु कुल 11.11 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत 8.27 हे0 तथा रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत 2.84 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/OTHERS/34881/2018) के संबंध में।

**प्रसंग:-** प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक- 1373 दिनांक 03.11.2021 एवं आपका कार्यालय ज्ञापांक- 946 दिनांक 04.12.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना में प्रस्तावित वन भूमि (राजस्व अभिलेख में जंगल-झाड़ी दर्ज भूमि -2.84 हे0) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया हुआ पाया गया है, जिसकी प्रविष्टि पार्ट-2 के कंडिका संख्या- 11(i) में किया गया है। चूंकि अपयोजन हेतु प्रस्तावित प्रश्नगत भू-भाग गैर मजरूआ जंगल झाड़ी दर्ज है, जिसका स्वामित्व वन विभाग को नहीं है। प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विषयगत परियोजना अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में दोषी पदाधिकारियों का नाम उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत उल्लंघन में दोषी पाए गए पदाधिकारियों का नाम निम्नवत है:-

1. श्री नन्दकिशोर सिंह, महाप्रबंधक (परियोजना), M/s RITES Ltd.
2. श्री दिनेश कुमार रामा, परियोजना पदाधिकारी, नार्थ उरीमारी/बिरसा परियोजना, M/s CCL, Barka Sayal

सादर सूचनार्थ समर्पित।

आपका विश्वासी,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
रामगढ़।